न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, अम्बेडकर नगर।

पीठासीनः हरबंश नारायन, उ०प्र० "उच्चतर न्यायिक सेवा"

CNR No.– UPAN010030212025

दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या– 123/2025

राजाराम विश्वकर्मा पुत्र हरीराम विश्वकर्मा, निवासी ग्राम–अल्लीपुर कोड़रा, पोस्ट–सैदपुर भितरी, थाना–मालीपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।

– – – – – पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. राज्य सरकार उ०प्र० द्वारा कलेक्टर, अम्बेडकर नगर।
2. अमरनाथ पुत्र राम सुमेर यादव।
3. मनीष यादव उर्फ मोनू पुत्र अमरनाथ।
   निवासीगण ग्राम व पोस्ट– मालीपुर, तहसील व ब्लॉक–जलालपुर, थाना–मालीपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।

– – – – – विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा–438/440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रकीर्ण वाद संख्या–975/2025, अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस., राजाराम बनाम अमरनाथ आदि, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के प्रकरण में विद्वान सिविल जज (जू०डि०) त्वरित न्यायालय/जे०एम०, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.07.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकीर्ण वाद निरस्त किया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी द्वारा पुनरीक्षण याचिका में मुख्य आधार यह लिये गये हैं कि विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त आलोच्य आदेश सरसरी तौर पर, विधिक प्राविधानों का पालन न करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किये बिना कल्पना के आधार पर मनमाने ढंग से पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त मुकदमें में विपक्षी संख्या–2 ता 3 द्वारा निगरानीकर्ता के साथ संज्ञेय आपराधिक कृत्य किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० को निस्तारित करते समय मजिस्ट्रेट को सामान्य रूप से केवल यह विचार करना चाहिए कि प्रार्थनापत्र में कथित तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध गम्भीर व संज्ञेय अपराध बनता है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि केवल इस आधार पर कि घटना के तथ्य शिकायतकर्ता की जानकारी मे है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करने से इन्कार नही किया जा सकता। बल्कि अपराध की गम्भीरता एवं सफलतापूर्वक अभियोजन चलाने हेतु साक्ष्य की आवश्यकता के आधार पर न्यायहित में आदेश पारित करना चाहिए। माननीय

उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां सम्बन्धित पुलिस ने काउण्टर कम्पलेन्ट पंजीकृत करने से इन्कार कर दिया है, वहां मजिस्ट्रेट किसी भी अवस्था में पुलिस को यह निर्देश दे सकता है कि वह उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजीकृत करके उसका अन्वेषण करे। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० में वर्णित घटना के सम्बंध में सभी तथ्य स्पष्ट हो, इसके लिए उक्त सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गई है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.07.2025 को निरस्त करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित करते हुए विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

3. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सूची–15 ब से बैंक स्टेटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कूटरचित बैनामा का प्रारूप, नकल खतौनी, विपक्षी संख्या–2 अमरनाथ द्वारा वापस किये गये मु० चार लाख रूपये से सम्बंधित विवरण तथा ट्रक का छायाचित्र व विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. विपक्षीगण संख्या–2 व 3 द्वारा आपत्ति कागज संख्या–12 ब के माध्यम से मुख्य रूप से कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या– 2 ने निगरानीकर्ता को गाटा संख्या– 217 रक्बा 0.2990 हे0 में से 1360.58 वर्गफिट यानी 126.45 वर्गमीटर मु० 5,50,000/– रुपये में विक्रय कर दिया जिसका दाखिल खारिज भी हो गया है। विपक्षी संख्या–2 को रुपयो की सख्त जरुरत थी, लिहाजा वह गाटा संख्या 267/0.0980 हे0 मौजा स्थित मालीपुर परगना– अकबरपुर तहसील–जलालपुर जिला– अम्बेडकरनगर अपना संपूर्ण अंश 0.0196 हे० यानी 196 वर्गमीटर मु० 15 लाख रुपये में निगरानीकर्ता से क्रय–विक्रय का सौदा तय हुआ जिसमें निगरानीकर्ता मु० 9 लाख 85 हजार रुपये जरिए चेक दे दिया और बाकी रुपया दस्तावेज लिखने के समय देने का संविदा हुआ था परन्तु निगरानीकर्ता बाद में यह दबाव बनाने लगा कि शेष रुपया बैनामा करने के दो माह बाद दे दूँगा। इस बात पर विपक्षी संख्या–2 ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने प्रार्थीगण पर दबाव बनाने हेतु न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश पारित कराना चाहा। विपक्षी संख्या–2 पर निगरानीकर्ता द्वारा दबाव बनाने पर चार लाख रुपये जरिए चेक निगरानीकर्ता को वापस कर दिया और शेष रुपया नगद दे दिया गया। निगरानीकर्ता का विपक्षीगण के ऊपर किसी भी प्रकार का रुपया देय नहीं है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा जो भी रकम दिया गया था उसको प्रार्थीगण द्वारा जरिए चेक व नकद रुप से वापस कर दिया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त होने योग्य है।

5. संक्षेप में प्रकरण से सम्बंधित सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या–2 व 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एस.एस.एस. विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि वह ग्राम अल्लीपुर कोड़रा, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर का निवासी है तथा बढ़ईगीरी का कार्य कर जीविकोपार्जन करता है। प्रार्थी ने दिनांक 15.07.2021 को विपक्षी अमरनाथ पुत्र राम सुमेर यादव से भूमि गाटा संख्या 217 में से 126.45 वर्गमीटर भूमि रुपये 5,50,000/– में क्रय की थी, जिसके उपरान्त दोनों पक्षों के मध्य निकट संबंध स्थापित हो गये। बाद में अमरनाथ एवं उसके पुत्र मनीष यादव उर्फ मोनू द्वारा प्रार्थी को दूसरी भूमि गाटा संख्या 267 में से 196 वर्गमीटर भूमि रुपये 11,00,000/– में विक्रय करने का प्रस्ताव दिया गया तथा आश्वासन दिया गया कि धनराशि किश्तों में प्राप्त होने पर भूमि का बैनामा कर दिया जायेगा। इसी शर्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा 11,00,000/– रूपये पूरा होने के बाद उसने जब जमीन लिखाने के लिए कहा तो विपक्षीगण ने कहा कि वे अब 1,00,000/–एक लाख रूपये और लेंगे, तब जमीन प्रार्थी के नाम लिखेंगे।

पुनः विपक्षीगण ने 15,000/– रूपये की माँग करते हुए जमीन लिखवा लेने की बात की। प्रार्थी ने विभिन्न तिथियों पर चेक, गूगल–पे एवं नगद के माध्यम से कुल रुपये 12,15,000/– विपक्षीगण को प्रदान किये, किन्तु विपक्षीगण द्वारा भूमि का बैनामा नहीं किया गया तथा लगातार टालमटोल एवं हीला–हवाली की जाती रही। बाद में विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी गयी तथा प्रार्थी को केवल रुपये 4,00,000/– वापस किये गये। शेष रुपये 8,15,000/– लौटाने से विपक्षीगण द्वारा इंकार कर दिया गया। अमरनाथ ने अपने लड़के मनीष के साथ मिल मिलाकर जमीन बेचने का प्रलोभन देते हुए विभिन्न तिथियों पर विभिन्न चेक, गूगल पे व नकद कैश के रूप में बारह लाख पन्द्रह हजार रूपया प्राप्त करते हुए तहसील जलालपुर जाकर कूटरचित कच्चा दस्तावेज तैयार कर तहसील से भाग गये। प्रार्थी द्वारा काफी सिफारिश करने पर मात्र चार लाख रूपया ही वापस किया गया, शेष आठ लाख पन्द्रह हजार रूपये अमरनाथ व उसके लड़के मनीष ने हड़प लिया है। विपक्षीगण द्वारा शिकायत करने व पैसा मांगने पर जान से मारने, दुकान बंद कराने व ट्रक से एक्सीडेंट कराने की धमकी दी गयी। इस प्रकार विपक्षीगण अमरनाथ एवं मनीष यादव उर्फ मोनू ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत छल, प्रपंचना, जालसाजी एवं धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थी से धनराशि प्राप्त कर हड़प ली। प्रार्थी द्वारा घटना की सूचना थाना मालीपुर एवं पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर को प्रार्थना पत्र देकर दी गयी, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय के समक्ष धारा 173(4) बी.एस.एस.एस. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर सम्बंधित थाने से आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार आवेदक एवं विपक्षी के मध्य जमीन के क्रय–विक्रय एवं पैसों को लेकर विवाद है। इस सम्बंध में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

7. उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत विद्वान अवर न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Sarabjit Kaur vs State of Punjab and another (2023) 5 SCC 360 में दिये गये प्रेक्षण–"A breach of contract does not give rise to criminal prosecution for cheating unless fraudulant or dishonest intention is shown right at the beginning of the transaction. Merely on the allegation of failure to keep up promise will not be enough to initiate criminal proceedings." के आधार पर आदेश दिनांकित 03.07.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र को दीवानी प्रकृति से सम्बंधित होना कहते हुए निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका योजित की गई है।

8. पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी संख्या–2, 3 के विद्वान अधिवक्तागण तथा विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुनी एवं सम्बंधित पत्रावली तथा उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त आलोच्य आदेश सरसरी तौर पर विधिक प्राविधानों का पालन न करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किये बिना कल्पना के आधार पर मनमाने ढंग से पारित किया है। विपक्षीगण अमरनाथ एवं मनीष यादव उर्फ मोनू ने छल व धोखाधड़ी करते हुए भूमि विक्रय करने का झूठा प्रलोभन देकर विभिन्न तिथियों पर प्रार्थी से कुल रुपये 12,15,000/– प्राप्त किये, परन्तु न तो भूमि का बैनामा किया और न ही सम्पूर्ण धनराशि वापस की। मात्र रुपये 4,00,000/– लौटाकर शेष रुपये 8,15,000/– हड़प लिये तथा धन मांगने पर प्रार्थी को जान–माल की धमकी दी गयी।

10. विपक्षी संख्या–01 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित

किया गया है।

11. विपक्षी संख्या–2 तथा 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्राप्त धनराशि विपक्षीगण द्वारा चेक एवं नगद माध्यम से वापस कर दी गयी है, अतः किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा संज्ञेय अपराध का गठन नहीं होता। केवल दबाव बनाने एवं अनावश्यक आपराधिक कार्यवाही कराने के उद्देश्य से मिथ्या आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों का समुचित परीक्षण कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि अथवा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को यह परीक्षण करना अपेक्षित होता है कि प्रस्तुत तथ्यों से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का प्रकटन होता है अथवा नहीं। साथ ही यह भी विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि मात्र किसी विवाद में दीवानी तत्व विद्यमान होने से आपराधिक कार्यवाही स्वतः वर्जित नहीं हो जाती, यदि आरोपों से प्रथमदृष्टया आपराधिक आशय अथवा कपटपूर्ण आचरण परिलक्षित होता हो। वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि पक्षकारों के मध्य भूमि क्रय–विक्रय एवं धनराशि के लेन–देन का संबंध था। यह भी तथ्य अभिलेख से परिलक्षित होता है कि धनराशि का कुछ भाग विपक्षीगण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को वापस किया गया। तथापि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह आक्षेप लगाया गया है कि विपक्षीगण ने भूमि विक्रय का प्रलोभन देकर उससे धनराशि प्राप्त की तथा बाद में भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी और शेष धनराशि वापस नहीं की। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में धमकी एवं छलपूर्वक धन हड़पने के भी आरोप लगाये गये हैं। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय ने केवल यह उल्लेख करते हुए कि विवाद दीवानी प्रकृति का है, प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, किन्तु इस पहलू पर समुचित विचार नहीं किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध के तत्व परिलक्षित होते हैं अथवा नहीं। साथ ही यह भी विचार नहीं किया गया कि यदि तत्काल पुलिस विवेचना आवश्यक न हो, तब भी क्या प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में ग्रहण कर विधि अनुसार प्रार्थी एवं साक्षियों के कथन अंकित किये जाने की आवश्यकता थी। यद्यपि उक्त आरोपों की सत्यता का परीक्षण साक्ष्य के आधार पर ही सम्भव है, तथापि अवर न्यायालय द्वारा उक्त पहलुओं पर समुचित विचार किये बिना ही प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है।

13. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **सरबजीत कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य,** (2023) 5 SCC 360 में प्रतिपादित सिद्धान्त का अवलम्बन लिया गया है, जिसमें यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मात्र संविदा के उल्लंघन अथवा वचन पालन न किये जाने से स्वतः धोखाधड़ी का अपराध गठित नहीं होता, जब तक कि व्यवहार के प्रारम्भ से ही कपटपूर्ण अथवा बेईमानीपूर्ण आशय प्रथमदृष्टया परिलक्षित न हो। उक्त विधिक सिद्धान्त सुस्थापित है, तथापि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में उक्त सिद्धान्त का यांत्रिक एवं अपूर्ण अनुप्रयोग किया जाना दर्शित होता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण पहलू पर समुचित विचार नहीं किया गया कि प्रार्थना पत्र में केवल संविदा उल्लंघन का आरोप नहीं है, बल्कि विपक्षीगण द्वारा भूमि विक्रय का प्रलोभन देकर धनराशि प्राप्त करने, तत्पश्चात उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देने, छलपूर्वक शेष धनराशि हड़पने तथा धमकी देने जैसे आरोप भी अंकित किये गये हैं, जिनसे प्रथमदृष्टया कपटपूर्ण आचरण एवं आपराधिक तत्व परिलक्षित होने का परीक्षण अपेक्षित था।

14. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Indian Oil Corporation Vs. NEPC India Ltd., AIR 2006 SC 2780** में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी विवाद में दीवानी उपचार उपलब्ध होने मात्र से आपराधिक कार्यवाही स्वतः वर्जित नहीं हो जाती तथा यदि

आरोपों से आपराधिक तत्व प्रथमदृष्टया परिलक्षित हों, तो आपराधिक कार्यवाही संचालित की जा सकती है। इसी प्रकार **Sau. Kamal Shivaji Pokarnekar v. State of Maharashtra (2019) 14 SCC 350** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि यदि मामले में प्रथमदृष्टया अपराध के आवश्यक तत्व परिलक्षित होते हों, तो केवल दीवानी विवाद की उपलब्धता के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता। यह भी विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक संविदात्मक अथवा धनराशि विवाद को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता, किन्तु जहाँ आरोपों में कपटपूर्ण आशय, छलपूर्वक धन प्राप्त करना, धमकी अथवा अन्य आपराधिक तत्वों का उल्लेख हो, वहाँ न्यायालय को तथ्यों का गहन परीक्षण कर कारणयुक्त आदेश पारित करना अपेक्षित होता है। केवल "दीवानी विवाद" कहकर प्रार्थना पत्र निरस्त कर देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

15. इस प्रकार उपर्युक्त समग्र विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का सम्यक् ढंग से प्रयोग न करते हुए विधि अनुसार आदेश पारित नहीं किया गया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। तदनुसार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–975/2025, अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस., राजाराम बनाम अमरनाथ आदि, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के प्रकरण में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 03.07.2025 अपास्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को इस निर्णय/आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित हो कि वह उपर्युक्त प्रेक्षण के आलोक में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पर पुनः विचार कर विधि के अनुरूप आदेश पारित करें।

अवर न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की एक प्रति के साथ अविलम्ब अवर न्यायालय को वापस प्रेषित की जाये।

पुनरीक्षणकर्ता विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.06.2026 को उपस्थित हो।

दिनांकः– 27.05.2026

(हरबंश नारायन)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2,
अम्बेडकर नगर।
आई.डी. नं०–UP 6297

आज यह निर्णय/आदेश स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 27.05.2026

(हरबंश नारायन)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2,
अम्बेडकर नगर।
आई.डी. नं०–UP 6297

Digitally signed by HARBANS NARAIN
Date: 2026.05.27 17:22:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court